



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21072022-237409
CG-DL-W-21072022-237409

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15]	नई दिल्ली, जुलाई 10—जुलाई 16, 2022, शनिवार/आषाढ़ 19— आषाढ़ 25, 1944
No. 15]	NEW DELHI, JULY 10—JULY 16, 2022, SATURDAY/ASHADHA 19— ASHADHA 25, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2022

आ.अ. 131.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019, दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए आंध्र प्रदेश के 17-नन्दयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, धारा 77 के अधीन उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए उसके निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 17-नन्दयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचनके परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री जेष्ठादी सुधाकर, जो लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में आंध्र प्रदेश के 17-नन्दयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कुरनूल की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री जेष्ठादी सुधाकर को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 86(2) और 86(3) में यथाविहित अपने निर्वाचन व्यय के वाउचर प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एपी-एचपी/17/2020/एसओयू, दिनांक 20 फरवरी, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री जेष्ठादी सुधाकर को यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर अपना अभ्यावेदन, जिसमें निर्वाचन व्यय के उनके लेखे में उपर्युक्त कमियों के कारण स्पष्ट किए गए हों, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और जिला निर्वाचन अधिकारी, कुरनूल को निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 86(3) में यथाविहित वाउचर जिनमें व्यय की तारीख, व्यय की प्रकृति और धनराशि, आदाता का नाम और पता, भुगतान की तारीख आदि दर्शाया गया हो, प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कुरनूल ने 23.06.2021 को बताया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री जेष्ठादी सुधाकर को उक्त नोटिस तामील नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त अभ्यर्थी को अपने नाम-निर्देशन पत्र में उनके द्वारा दिए गए पते पर निवास करते हुए नहीं पाया गया और उनके पड़ोसियों से पूछताछ करने पर यह पाया गया है कि अभ्यर्थी वहां लगभग डेढ़ वर्षों से निवास नहीं कर रहे हैं। अतएव, आयोग का नोटिस दिनांक 20.02.2021 उक्त पते पर चस्पा कर दिया गया; और

यतः, आयोग के पत्र सं 76/एपी-एचपी/2020 दिनांक 27 जुलाई, 2021 के जरिए उक्त नोटिस दिनांक 20.02.2021 की एक प्रति अभ्यर्थी को उनके दिए गए ईमेल पते delhisudharkarfoundation@gmail.com पर भी ईमेल की गई जिसके माध्यम से उनको उपर्युक्त पत्र प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर और हृद से हृद 16 अगस्त, 2021 तक नोटिस का उत्तर देने का निदेश दिया गया; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कुरनूल ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री जेष्ठादी सुधाकर ने आज की तारीख तक न तो आयोग के नोटिस दिनांक 20.02.2021 और पत्र दिनांक 27.07.2021 के प्रत्युत्तर में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, न ही अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय को अभ्यर्थी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंध है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री जेष्ठादी सुधाकरविधि के अधीन विहित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 17-नन्दयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री जेष्टादी सुधाकर, निवासी - मकान नं. 28/1380ए, कोलीमीपेटा, नूनीपल्ली, नान्दयाल, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/आंप्र-लो.स./2020]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2022

O.N. 131.— WHEREAS, the General Election to the House of People for **17-Nandyal** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses kept by him or by his election agent u/s 77, within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **17-Nandyal** Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report dated 22nd June, 2019 submitted by the District Election Officer, **Kurnool District, Andhra Pradesh, Shri/Smt./Km./Ms Jestadi Sudhakar**, a contesting candidate from **17-Nandyal** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh in General Election to the House of People, 2019, has failed to lodge account of election expenses, in the manner prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, Kurnool, a Show-Cause notice No. 76/AP-HP/17/2020/SOU 3, dated 20th February, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri/Smt./Km./Ms Jestadi Sudhakar**, for not submitting the vouchers of election expenses as envisaged in Rule 86(2) and 86(3) of the Conduct of Election Rules, 1961; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri/Smt./Km./Ms Jestadi Sudhakar** was directed to submit representation in writing to the Commission within 20 days of receipt of the notice, explaining the reason for the above said shortcoming in his account of election expenses and also to furnish to the District Election Officer, Kurnool, the vouchers indicating therein the date of expenditure, nature and amount of expenditure, the name and address of the payee, date of payment etc. as envisaged in 86(3) of the Conduct of Election Rules, 1961; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kurnool** has reported on 23.06.2021 that the said notice could not be served to **Shri/Smt./Km./Ms Jestadi Sudhakar**, as the said candidate was not found residing at the address provided by him in his nomination papers and on enquiry from his neighbors, it has been found that the candidate is not residing there for one and half years. Therefore, the Commission's notice dated 20.02.2021 was affixed at the said address; and

WHEREAS, vide Commission's letter No. 76/AP-HP/2020 dated 27th July, 2021, a copy of the said Notice dated 20.02.2021 was also emailed to the candidate at his given mail id i.e. delhisudharkarfoundation@gmail.com, whereby he was directed to submit a reply to the Notice within 20 days from receipt of the aforesaid letter and latest by 16th August, 2021; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kurnool in his supplementary report dated 20.06.2022, has reported that **Shri/Smt./Km./Ms Jestadi Sudhakar** has neither submitted any representation in response to Commission's Notice dated 20.02.2021 and letter dated 27.07.2021 nor requisite original vouchers till date. Further, no representation from the candidate in this regard has been received in the Secretariat of the Election Commission of India till date ; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri/Smt./Km./Ms Jestadi Sudhakar** has failed to lodge account of election expenses in prescribed manner under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri/Smt./Km./Ms Jestadi Sudhakar**, resident of **H. No. 28/ 1380A, Kolimipeta, Noonepalli, Nandyal, Kurnool District, Andhra Pradesh** and a contesting candidate from **17- Nandyal** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh in the General Election to the House of People, 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AP-HP/2020]

By Order

AVINASH KUMAR, Pr. Secy.